न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री दौलतराम चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :— 58/2019

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. नाथूराम पुत्र लाबूराम 2. खेताराम पुत्र नाथूराम जातियान बावरी, निवासीगण अटबड़ा, तह0 सोजत, राज0। 3. रूपाराम पुत्र मांगीलाल 4. ककूड़ी पत्नि मांगीलाल, जातियान मेघवाल, निवासीगण उचियाड़ा, तह0 बिलाड़ा, जिला जोधपुर। 5. अणची देवी पुत्री लाबूराम पत्नि बोहराराम, जाति बावरी, निवासी खारीयानींव, तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. केली देवी पत्नि भगवानराम जाति सीरवी निवासी अटबड़ा, तह0 सोजत, जिला पाली 2. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत सिटी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः—

1. श्री गजेन्द्र परिहार अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. श्री महेन्द्र चौधरी तथा दिलीप कुमार चौधरी अधिवक्तागण अप्रार्थी उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक :— 10.09.2020

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा अटपड़ा तहसील सोजत में खसरा नम्बर 2076 रकबा 4.3000 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि प्रार्थीगण के नाम स्थित है। प्रार्थीगण द्वारा ग्राम अटपड़ा के खसरा नंम्बर 2089, 2089/1 की उतरी दिशा की माठ के सहारे सहारे कदीमी रास्ता आवागमन हेतु चालु है, इसलिए प्रार्थीगण को अपनी भूमि खसरा संख्या 2076 में आवागमन हेतु 12 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 के खसरा संख्या 2088/1 में से उसकी माठ के सहारे सहारे दिलवाया जाकर खसरा नम्बर 2089, 2089/1 के रास्ते जोड़ा जाना कानूनन आवश्यक व न्यायसंगत है। प्रार्थीगण के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। अतः अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर सरहद मौजा अटपड़ा के खसरा नम्बर 2088/1 में 12 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण की खसराजात की भूमि खसरा नम्बर 2076 तक दिलाये जाने एवं रास्ते को राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जवाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री महेन्द्र चौधरी, एवं श्री दिलीप कुमार चौधरी अधिवक्तागण ने दिनांक 30.09.2019 को वकालतनामा पेश किया, सा0मि0 किया गया। दिनांक 30.09.2019 से अनेकानेक अवसर के बावजूद अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 0-

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

जवाब पेश करने में विफल हरने से दिनांक 24.08.2020 को अवसर समाप्त कर जवाब बन्द किया गया। तहसीलदार सोजत ने दिनांक 24.08.2020 को फर्द मौका दिनांक 20.08.2020 को नक्शा ट्रेस मौका प्रस्तुत की, सा0मि0 है। **तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्टानुसार मौजा अटबडा के खसरा नम्बर 2076 मे जाने के लिये वर्तमान में कोई कटाणी रास्ता नही है। वर्तमान मे मांगे गये रास्ते अनुसार खसरा 1818 जो अटबडा से देवली कंला जाने वाली डामर सडक पर होते हुए खसरा नम्बर 2189 गै0मु0 रास्ता से खसरा नम्बर 2192, 2187, 2185, 2089, 2089/1** में से होकर एक कदीमी रास्ता 2090/1 से होते हुए आगे के खेतो की तरफ जाता है। उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज नही है। इस रास्ते से काश्तकारो द्वारा आवागमन होता है। खसरा नम्बर 2192, 2187, 2185, 2089, 2089/1, 2090/1 से जाने वाला रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही है। प्रार्थीगण द्वारा ख0न0 2088 जिसके खातेदार केली देवी पत्नि भगवानराम सीरवी है की उत्तरी माठ के सहारे रास्ते (12 फीट) की मांग की गई है जिसकी लम्बाई 152 मीटर है व उक्त रास्ते का रकबा 0.0608 है0 बनता है। दुसरा विकल्प के रूप में खसरा नम्बर 2077 जिसके खातेदार श्री पेमाराम पुत्र केसाराम 1/2 हिस्सा है उतरी माठ के सहारे भी खसरा भी खसरा नम्बर 2076 में आवागमन हो सकता है । उक्त रास्ते का रकबा 0.816 हैक्टर व 204 मीटर बनता है। अन्य विकल्प के रूप में खसरा नम्बर 2070, 2070/1, 2075, 2075/1 से भी खसरा नम्बर 2076 में आवागमन हो सकता है। खसरा नम्बर 2070 का रकबा 0.0240, खसरा नम्बर 2070/1 का रकबा 0.0024 व खसरा नम्बर 2075 का रकबा 0.0724 हैक्टर अर्थात कुल रास्ते के रूप में प्रयुक्त होने वाली भूमि रकबा 0.724 हैक्टर है।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि प्रा0 पत्र के अनुसार प्रार्थीगण को अपनी भूमि खसरा संख्या 2076 में आवागमन हेतु 12 फुट चौडा रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 के खसरा संख्या 2088/1 में से उसकी माठ के सहारे सहारे दिलवाया जाकर खसरा नम्बर 2089, 2089/1 के रास्ते से जोड़े जाने राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 2088/1 मे से होकर अपनी भूमि मे जाने हेतु नया मार्ग चाहा है जबकि खसरा नम्बर 2088/1 किसी मुख्य मार्ग से लगते हुये नही है। मात्र हैरान व परेशान करने की नियत से जानबूजकर 2088/1 से रास्ता मांगा जा रहा है। प्रार्थीगण की भूमि में जाने हेतु खसरा नम्बर 2070, 2075/1, 2075 ओर 2078, 2077 से भी रास्ता दिया जा सकता है। चूँकी उक्त खसरा नम्बरान मुख्य मार्ग से लगते हुये है तथा नजदीकी भी है। इस प्रकार क्लिन हैण्ड से प्रार्थना पत्र पेश नही करने से अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र चूँकि किंकर्तव्यविमूढता की स्थिति पैदा करता है व धारा 251 ए की परिधि में भी नही आने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, उभयपक्षों को सुना तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट तहसीलदार, सोजत का गहनता पूर्वक अध्ययनकर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। रेकर्ड का अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1.

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु प्रस्तावित रास्ते की भूमि वर्तमान में किसी भी राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज रास्ते से लगते हुए नही है। इसके अतिरिक्त पहुँच हेतु प्रस्तावित रास्ते की भूमि का प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र से किंकर्तव्यविमूढता की स्थिति होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) में पोषणीय नही है क्योकि खातेदारी भूमि में प्रस्तावित मार्ग मुख्य मार्ग से निकटतम होना आवश्यक है जो कि हस्तगत प्रकरण में परिलक्षित नही होता है। अन्य बिन्दु भी प्रार्थना पत्र के परिपेक्ष्य में न्यायोचित प्रतीत नही होते है। तहसीलदार, सोजत की रिपोर्ट/ प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागन हेतु मुख्य मार्ग /राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज रास्ते से सबसे निकटम मार्ग खसरा नम्बर 2077, 2078 एवं 2070, 2071/1 व 2075 में से होकर पाया गया है। जिसके खातेदारो को न तो पक्षकार संयोजित किया गया है तथा न ही उससे किसी प्रकार की Relief चाही गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित नही हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण नही करने से पोषणीय नही होना पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पोषणीय नही होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेख्य भण्डार जमा हो।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 10.09.2020 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

Scanned with CamScanner